राजस्व वाद संख्याः–207 / 2022
महेन्द्र सिंह बनाम हरिसिंह वगै0
निर्णय दिनांकः– 18/07/.....2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमन देवी ।।(आर.ए.एस.)

मु0नं0 207 / 2022

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदाराराम जाति जाट निवासी स्यालु खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राज0

– आवेदक

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र स्व० झुथाराम
2. बिरजाराम पुत्र स्व० झुथाराम,
3. विमला देवी पत्नी मालसिंह,
4. संजय पुत्र मालसिंह,
5. राजवीर पुत्र मालसिंह,
6. मुकेश पुत्र मालसिंह,
7. भागली पत्नी महाराम,
8. राजपाल पुत्र महाराम,

समस्त जाति जाट निवासी स्यालु खुर्द तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू राज0

9. भानमति पुत्री महाराम पत्नी श्री सुभाष चन्द्र
10. मुन्नी पुत्री महाराम पत्नी श्री कृपाल सिंह,
    जातियान जाट निवासी केहरपुरा झाझडिया तहसील चिडावा जिला झुंझुनू ।
11. सरस्वती पुत्री महाराम पत्नी प्रताप मान,
12. सुमित्रा पुत्री महाराम पत्नी सुरेन्द्र मान,
13. बुल्ली पुत्री महाराम पत्नी वीरसिंह मान
    समस्त जाति जाट निवासीगण गौरीर तहसील खेतडी जिला झुंझुनू
14. भूमिधारी तहसीलदार, सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राज०

अनावेदकगण

**प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**निर्णय**

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि तहसील सूरजगढ़ की ग्राम स्यालु खुर्द में भूमि खसरा नं. 89 रकबा 1.62 है0 एवं कुआ खसरा नं. 90 रकबा 0.03 है0 भूमि स्थित है जिसमें आवेदक का हिस्सा 1 / 3 है जिस पर आवेदक काबिज काश्त है। राजस्व ग्राम स्यालु खुर्द की सरहद में भूमि खसरा नं. 88 रकबा 2.79 है0 आवेदक नं. 1 लगायत 13 की खातेदारी भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व वाद संख्याः–207/2022
महेन्द्र सिंह बनाम हरिसिंह वगै0
निर्णय दिनांकः– 18/07/2025

ावेदक ग्राम स्यालु खुर्द तहसील सूरजगढ में भूमि खसरा नं. 89 रकबा 1.62 है0 एवं कुआ बसरा नं. 90 रकबा 0.03 है0 का खातेदार काश्तकार है। जिसमें आवेदक की भूमि ग्राम स्यालु खुर्द में खसरा नं. 89 रकबा 1.62 हैक्टर एवं कुआ खसरा नं. 90 रकबा 0.03 हैक्टर में हेस्सा 1/3 में आने जाने का एकमात्र रास्ता सूरजढ़ से चिड़ावा जाने वाली मुख्य सड़क से भूमि खसरा नं. 88. रकबा 2.79 हैक्टर में से होकर जाने से अनावेदक भी अपनी उक्त कृषि भूमि व कुए व मकानों पर उक्त रास्ते से होकर ही आते जाते हैं को 12 फीट चौडा किया जाकर खोलकर दिया जाना है जो सबसे कम दूरी पर है एवं इसने अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

यह कि आवेदक उक्त भूमि में से रास्ता प्राप्त करने बाबत नियमानुसार माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राशि देने को तैयार है इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है ।

अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक के खेत खसरा नं. 89 रकबा 1.62 है0 एवं कुआ खसरा नं. 90 रकबा 0.03 है0 में आने जाने बाबत वाहन, उंट गाड़ा, ट्रैक्टर, मवेशी आदि को लाने ले जाने बाबत अनावेदक नम्बर 01 लगायत 13 के खेत खसरा नं. 88. रकबा 2.79 हैक्टर में से होकर जाने से अनावेदक भी अपनी उक्त कृषि भूमि व कुए व मकानों पर उक्त रास्ते से होकर ही आते जाते हैं को 12 फीट चौडा किया जाकर खोलकर दिया जाना है जो सबसे कम दूरी पर है एवं इसने अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अप्राथी की तरफ से एड0 संदीप मान ने वकालतनामा पेश किया । प्रकरण में कई बार राजस्व कर्मचारियों की टीम का गठन किया जा चुका है। दिनांक 06.03.2025 को फिर तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी।

**बहस सुनी गई**

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2025/69 दिनांक 06.03.2025 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा राजस्व ग्राम स्यालु खुर्द की भूमि खसरा नं. 89 व 90 के लिए वर्तमान में कोई कटानी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, परन्तु मौके पर प्रचलित रास्ता मौजूद है, जो आबादी भूमि खसरा नं. 77 से खसरा नं. 71 की तरफ जाता है। इसी रास्ते के द्वारा खसरा नं. 89 व 90 में आवागमन होता है।

आवेदक द्वारा ख.नं. 88 में से कटानी रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। ग्राम स्यालु खुर्द की भुमि ख.नं. 88 रकबा 2.79 है0 कुल 14 खातेदारों की संयुक्त खातेदारी है। खसरा नं. 88 की जमाबंदी में खसरा नं. 88 सभी काश्तकार पर स्थगन अंकित है।

उक्त मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस का अवलोकन एवं मनन पश्चात तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व/2025/69 दिनांक 06.03.2025 के अनुसार मौके पर प्रचलित रास्ता मौजूद है, जो आबादी भूमि खसरा नं. 77 से खसरा नं. 71 की तरफ जाता है। इसी रास्ते के द्वारा खसरा नं. 89 व 90 में आवागमन होता है।। अतः परिवादी का प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत पोषित नहीं किया जा सकता। अतः

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः–207/2022
महेन्द्र सिंह बनाम हरिसिंह वगै0
निर्णय दिनांकः– 18/07/....2025

वादी को हिदायत दी जाती है कि रास्ते हेतु तहसीलदार सुरजगढ़ के याहां प्रचलित रास्ते को कटानी दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करे। अतः उक्त प्रार्थनापत्र को खारिज किया जाना न्यायोचित पाता है।

## आदेश

तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व/2025/69 दिनांक 06.03.2025 के अनुसार मौके पर प्रचलित रास्ता मौजूद है, जो आबादी भूमि खसरा नं. 77 से खसरा नं. 71 की तरफ जाता है। इसी रास्ते के द्वारा खसरा नं. 89 व 90 में आवागमन होता है। अतः परिवादी का प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत पोषित नहीं किया जा सकता। अतः वादी को हिदायत दी जाती है कि रास्ते हेतु तहसीलदार सुरजगढ़ के याहां प्रचलित रास्ते को कटानी दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करे। अतः उक्त प्रार्थनापत्र को खारिज किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

यह निर्णय आज दिनांक 18/07/.....2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी ,सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ